

①

कार्यालय चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या-1955/पी0ए0/आयुक्त कैम्प/2017 दिनांक-21 नवम्बर,2017

आदेश

श्री रवीन्द्र कुमार दुबे, संयुक्त संचालक चकबन्दी, मुख्यालय, लखनऊ को अपने कार्य के साथ-साथ नियम-65 के अन्तर्गत वादों की सुनवाई एवं उनका नियमानुसार निस्तारण करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(डॉ० रजनीश दुबे)  
चकबन्दी आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त अधिकारीगण, चकबन्दी मुख्यालय, लखनऊ।
- 3- श्री रवीन्द्र कुमार दुबे, संयुक्त संचालक चकबन्दी, मुख्यालय, लखनऊ।

(डॉ० रजनीश दुबे)  
चकबन्दी आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश।